

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/16(J)/09/ खंड-III/868
SPMCIL/VIG/16(J)/09/Vol.-III

दिनांक 11.05.2018
Date 11.05.2018

परिपत्र संख्या 04/18/Circular No. 04/18

विषय/Sub:- भौतिकीय सत्यापन कार्य के दौरान पाई गई विसंगतियों के संदर्भ में।/Irregularities found during Annual Physical Verification - reg.

एक इकाई में भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि के सतर्कता विभाग द्वारा किए गए वार्षिक भौतिकीय सत्यापन कार्य के दौरान यह पाया गया कि कनसुमेबल पदार्थ जैसे इंक, पेपर इत्यादि जो की स्टोर में रखा था उसके लेबल पर शेल्फ लाइफ या समाप्ती तिथि उल्लेख नहीं था।

During Annual Physical verification by SPMCIL Vigilance Team in one of the units, it is observed that the consumable material like Paper, Ink etc. kept at store on which expiry date/shelf life is not mentioned.

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि सभी कनसुमेबल कि सेल्फ लाइफ /समाप्ती तिथि पूर्ण रूप से परिभाषित हो तथा उन्हें सेल्फ लाइफ/ समाप्ती तिथि के भीतर ही उपयोग सुनिश्चित हो।

2. Competent authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that shelf life/expiry date of all the consumable materials are defined and proper utilization within shelf life be ensured.

-पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - /-Contd. at Page 2-


S. Behy
11/05/18

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/16(J)/09/ खंड-III
SPMCIL/VIG/16(J)/09/Vol.-III

दिनांक 11.05.2018
Date 11.05.2018

-2-

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
4. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.



(शशिभूषण बेहेरा)/(Shashibhushan behera)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक//CMD.
2. मु.स.अ./निदेशक (तकनीकी/मा.स./वित्त)/Director (Tech/HR/Fin)/ CVO.
3. अपर महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (नि.मु.)/
AGM/DGM/CM/Mgrs (CHO).
4. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
5. सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.